सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/337** दायर दिनाँक **07.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. समन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी थाणु तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. हुसियार खां पुत्र साबुदीन 2. निजाम खां पुत्र अब्दु खां 3. रमजानी पत्नी स्व0 कालू खां 4. समो पुत्री स्व0 कालू खां 5. रजिया पुत्री स्व0 कालू खां 6. छोटी पुत्री स्व0 कालू खां 7. आसी पुत्री स्व0 कालू खां 8. दलीप खां पुत्र स्व0 कालू खां 9. हनीफ खां पुत्र स्व0 कालू खां 10. रोशनी पुत्री स्व0 कालू खां 11. राजु खां पुत्र स्व0 कालू खां 12. सदाम पुत्र स्व0 कालू खां 13. परवीना पुत्री स्व0 कालू खां 14. रूखसाना पुत्री स्व0 कालू खां समस्त जाति मुसलमान 15. मालसिंह पुत्र छतुसिंह 16. मदनसिंह पुत्र छतुसिंह 17. महेन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण थाणु तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री भैरूसिंह, वकील, वादी।
2. श्री नागपालसिंह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **21.12.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाके सरहद थाणु के खेत खसरा सं0 53 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा वादी व प्रतिवादी सं0 15 ता 17 तक की खातेदारी का स्थित है। परन्तु इस खेत पर काफी पुराने समय से प्रतिवादी सं0 01 ता 14 तक या इनके पूर्वज काबिज चले

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आ रहे है। वाके सरहद थाणु के खेत खसरा सं0 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा प्रतिवादी सं0 01 हुसियार खां व प्रतिवादी सं0 02 निजाम खां तथा प्रतिवादी सं0 03 ता 14 तक के पिता स्व0 कालू खां की खातेदारी का स्थित है। परन्तु इस खेत पर काफी पुराने समय से वादी व प्रतिवादी सं0 15 ता 17 तक या इनके पूर्वज काबिज चले आ रहे है। वाके सरहद थाणु के खेत खसरा सं0 53 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा पर प्रतिवादी सं0 01 से 14 तक या इनके पूर्व व खेत खसरा सं0 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा पर काफी पुराने समय से वादी व प्रतिवादी सं0 15 से 17 तक या इनके पूर्वज काबिज चले आ रहे है। परन्तु पक्षकारान को राजस्व रेकर्ड के बारे मे जानकारी नही थी तथा राजस्व रेकर्ड के विपरीत उपरोक्त प्रकार से पक्षकारान काबिज है तथा एक दुसरे के एडवर्स पजेशन की स्थिति में है।

वादीगण द्वारा हाल के दिनों में ऊपर वर्णित खेताय के नजरी नक्शा की नकलें लेने पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 15 ता 17 को जानकारी हुई कि जिस खेत खसरा सं0 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा पर उनका कब्जा है उसकी खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं0 03 ता 14 तक के पति/पिता स्व0 कालू खां के नाम से दर्ज है और उनकी खातेदारी वाले खेत खसरा सं0 53 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा पर प्रतिवादी सं0 01 व 02 तथा 03 से 14 तक का कब्जा काश्त है। इस पर वादी की और से प्रतिवादी सं0 01 से 14 तक या इनके प्रतिनिधियों से निवेदन किया गया। जिस पर इन लोगों ने उक्त प्रकार से खातेदारी इन्द्राज को रेकर्ड दुरूस्ती करवाने से मना कर दिया जिस पर यह वाद पत्र वास्ते घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि वाके सरहद थाणु के खसरस सं0 53 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा की खातेदारी में से वादी व प्रतिवादी सं0 15 से 17 तक का नाम हटाने की घोषणा की जाकर इस खेत की खातेदारी में प्रतिवादी सं0 01 से 14 तक का नाम दर्ज करने की घोषणा की जाकर तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती फरमावें तथा वाके सरहद थाणु के खेत खसरा सं0 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं0 03 ता 14 तक के पति/पिता स्व0 कालू खां का नाम हटाने की घोषण की जाकर इस खेत की खातेदारी में वादी व प्रतिवादी सं0 15 से 17 तक का नाम दर्ज करने की घोषणा की जाकर तदनुसार रेकर्ड दुरूस्ती फरमावें तथा खसरा सं0 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा भूमि के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करें तथा न अपने किसी एजेन्ट से करावें।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण सं0 01 तस 18 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 18 बावजुद तामील के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 17 की ओर से वाद में इकबालिया जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 01 ता 16 ने राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/337
दायर दिनाँक 07.12.2017, निणर्य दिनाँक 21.12.2017
समन्द्रसिंह बनाम हुसियार खां, वगैरा।

विद्वान वकुलाय पक्षकारान् की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

बहस के तर्को पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान जरिये राजीनामा दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाके शरहद थाणु के खसरा संख्या 53 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 के नाम घोषित की जाती है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 15 से 17 का नाम हटाया जाता है तथा खेत खसरा संख्या 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के नाम घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं0 03 ता 14 के पति/पिता स्व0 कालू खां का नाम हटाया जाता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **21.12.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **2017/337** दायर दिनाँक **07.12.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. समन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह जाति राजपूत निवासी थाणु तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. हुसियार खां पुत्र साबुदीन 2. निजाम खां पुत्र अब्दु खां 3. रमजानी पत्नी स्व0 कालू खां 4. समो पुत्री स्व0 कालू खां 5. रजिया पुत्री स्व0 कालू खां 6. छोटी पुत्री स्व0 कालू खां 7. आसी पुत्री स्व0 कालू खां 8. दलीप खां पुत्र स्व0 कालू खां 9. हनीफ खां पुत्र स्व0 कालू खां 10. रोशनी पुत्री स्व0 कालू खां 11. राजु खां पुत्र स्व0 कालू खां 12. सदाम पुत्र स्व0 कालू खां 13. परवीना पुत्री स्व0 कालू खां 14. रूखसाना पुत्री स्व0 कालू खां समस्त जाति मुसलमान 15. मालसिंह पुत्र छतुसिंह 16. मदनसिंह पुत्र छतुसिंह 17. महेन्द्रसिंह पुत्र छतुसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण थाणु तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 18. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती, घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेघाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **21.12.2017**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री भैरोसिंह, वकील, वादी व श्री नागपालसिंह वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 17 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर, वाके शरहद थाणु के खसरा संख्या 53 रकबा 21 बीघा 18 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 के नाम घोषित की जाती है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 15 से 17 का नाम हटाया जाता है तथा खेत खसरा संख्या 75 रकबा 23 बीघा 04 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 15 ता 17 के नाम घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं0 01 व 02 तथा प्रतिवादी सं0 03 ता 14 के पति/पिता स्व0 कालू खां का नाम हटाया जाता है। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **21.12.2017** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner